राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 6, शुक्रवार, शाके 1937–अगस्त 28, 2015
Bhadra 6, Friday, Saka 1937–August 28, 2015

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 28, 2015

जी.एस.आर. 79 :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 79ङ का संशोधन.– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 79ङ के विद्यमान उप–नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(4) परियोजना प्रस्तावक ब्योरेवार और व्यापक प्रस्ताव दो आवरणों में प्रस्तुत करेगा। प्रथम आवरण में ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट, सर्वेक्षण डाटा, विनिर्देश (इनपुट/आउटपुट) के साथ ही परियोजना की डिजाईन, ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत, अग्रिम प्रतिभूति सहित ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत अंतर्विष्ट होगी। ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट में प्ररूप सं. 5 में यथा विनिर्दिष्ट ब्योरे अंतर्विष्ट होंगे। प्रथम आवरण प्रशासनिक विभाग द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। बोली मूल्य, ऐसे प्ररूप में, जैसा प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षित हो, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप से सीलबंद प्रथक् आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा, जो खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अन्य बोली लगाने वालों से प्राप्त वित्तीय बोलियों के खोले जाने के समय पर ही

प्रशासनिक विभाग द्वारा, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।''

3. नियम 79च का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 79च के उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रतिभूति भी प्रस्तुत करेगा।'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तावित'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''बोली प्रतिभूति, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत के आधार पर संगणित की जायेगी।'' अंतःस्थापित की जायेगी।

4. नियम 79छ का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 79छ के विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(2) प्रशासनिक विभाग, या इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति, परियोजना प्रस्तावक के साथ ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत पर वार्ता करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयारी की लागत का ऐसा निर्धारण युक्तिसंगत और न्यायोचित हो। परियोजना प्रस्तावक को ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत की प्रतिपूर्ति अंतिम बोली मूल्य का या ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की अनुमोदित वार्तानुसार लागत, इनमें से जो भी कम हो, का 0.1% की जायेगी।''

5. नियम 79झ का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 79झ में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्रस्तावक को संसूचित किया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग अंतिम बोली परिमापों के मुकाबले बोली मूल्य का मूल्यांकन करेगा और यदि अपेक्षित हो, तो'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्रस्तावक को संसूचित किया जायेगा। यदि अपेक्षित हो तो'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(2) यदि उप–नियम (1) के अधीन अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाता है, तो परियोजना प्रस्तावक अंतिम बोली मूल्य ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत कर सकेगा जैसा कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये। परियेाजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम बोली मूल्य के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, परियेाजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया मूल बोली मूल्य, अप्रवर्तनीय हो जायेगा। अंतिम बोली मूल्य, परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्यक् रूप से सीलबंद पृथक् आवरण में प्रस्तुत किया जायेगा, जो कि खुली प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाने वालों से प्राप्त वित्तीय बोलियों के खोलने के समय पर ही खोला जायेगा। यदि परियोजना

प्रस्तावक अतिरिक्त सूचना देने की वांछा करता है, तो वह ऐसी सूचना पृथक् से परिवेष्ठित कर सकेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंतिम बोली मूल्य के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, प्रशासनिक विभाग, समुचित सिफारिश के साथ, प्रस्ताव राज्य स्तरीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करेगा।''

6. **नियम 79ट का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 79ट में,–

(i) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''उत्तरदायी होगा।'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उत्तरदायी होगा। बोली दस्तावेज स्पष्ट रूप से यह सम्मिलित करेगा कि खुली बोली प्रक्रिया को उपापन की स्विस चैलेंज पद्धति के अधीन लिया जा रहा है।'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप–नियम (3) में,–

(क) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के स्थान पर विराम चिह्न'':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

''परंतु यदि खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से, अन्य बोली लगाने वाले की बोली निम्नतम, या यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद पायी जाती है, तो परियोजना प्रस्तावक को ऐसी निम्नतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली के मिलान का अवसर केवल तब ही दिया जायेगा, जब यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गयी अंतिम बोली मूल्य ऐसी निम्नतम, या यथास्थिति, सर्वाधिक लाभप्रद बोली के 15% के भीतर है।''

7. **नियम 79ढ का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 79ढ में,–

(i) उप–नियम (1) में,–

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति ''निम्नलिखित विधिक संस्था या व्यक्ति'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सहउद्यम या कन्सोरटियम को सम्मिलित करते हुए, विधिक संस्था या व्यक्ति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''व्यक्ति या मुख्य सदस्य के पास,'' के स्थान पर अभिव्यक्ति, ''व्यक्ति या मुख्य सदस्य, या सहउद्यम या कन्सोरटियम के किसी अन्य सदस्य के पास,'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(3) सहउद्यम या कन्सोरटियम की दशा में, मुख्य सदस्य, और सहउद्यम या कन्सोरटियम के सदस्य, जिनके तकनीकी सामर्थ्य के आधार पर, परियोजना के लिए सहउद्यम या कन्सोरटियम की तकनीकी पात्रता विनिश्चित की गयी है, को सहउद्यम या कन्सोरटियम से निकास अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।''

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए. आर./2014]
राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धार्थ महाजन,
विशिष्ट शासन सचिव।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, August 28, 2015

G.S.R. 79 .- In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 79E.- The existing sub-rule (4) of rule 79E of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(4) The Project Proponent shall submit the detailed and comprehensive proposal in two covers. The first cover shall include the detailed project report, the survey data, specifications (input/output), as well as designs of the project, total estimated cost of the project on the basis of detailed project report, cost of preparation of detailed project report, along with the Earnest Security. The detailed project report shall include the details as specified in Form No. 5. The first cover shall be opened by the Administrative Department, or by a Committee constituted by the Administrative Department for this purpose. The Bid Value, in such form, as may be required by the Administrative Department, shall be submitted in a separate cover, duly sealed by the project proponent, which shall be opened by the Administrative Department, or by a Committee constituted by the Administrative Department for this

purpose, only at the time of opening of the financial bids received from other bidders through open competitive bidding process."

3. Amendment of rule 79F.- In sub-rule (2) of rule 79F of the said rules, after the existing expression "Administrative Department concerned." and before the existing expression "The Project Proponent", the expression **"**The Bid Security shall be calculated on the basis of the total estimated cost of the Project as per the detailed project report." shall be inserted.

4. Amendment of rule 79G.- The existing sub-rule (2) of rule 79G of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(2) The Administrative Department or a Committee, constituted by the Administrative Department for this purpose, shall negotiate the cost of preparation of the detailed project report with the Project Proponent and ensure that such assessment of the detailed project report preparation cost shall be reasonable and justifiable. The reimbursement of detailed project report preparation cost to the project proponent shall be 0.1% of the final bid value or of the approved negotiated cost of preparation of detailed project report, whichever is lower."

5. Amendment of rule 79I.- In rule 79I of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "be intimated to the Project Proponent. The Administrative Department concerned shall evaluate the bid value vis-à-vis the final bid parameters and if required, the", the expression "be intimated to the Project Proponent. If required, the" shall be substituted;

(ii) the existing sub-rule (2), shall be substituted by the following, namely:-

"(2) If the additional time is allowed under sub-rule (1), the Project Proponent shall submit the final bid value in such form as may be required by the Administrative Department. After submission of final bid value by the project proponent, the original bid value submitted by the project proponent shall become inoperative. The final bid value shall be submitted in a separate cover, duly sealed by the project proponent, which shall be opened only at the time of opening of the financial bids received from bidders through open competitive bidding process. In case, the Project Proponent desires to give additional information, he may enclose such information separately. After submission of the final bid value by the project proponent, the Administrative Department shall submit the proposal, with appropriate recommendation, to the State Level Empowered Committee.".

6. Amendment of rule 79K.- In rule 79K of the said rules,-

(i) in sub-rule (2), for the existing expression "requirements of individual project.", the expression "requirements of individual

project. The bidding document shall clearly incorporate that the open bidding process is being taken up under Swiss Challenge Method of procurement." shall be substituted;

(ii) in the sub-rule (3),-

(a) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted;

(b) after the existing sub-rule (3) so amended, following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that, if through the open bidding process, bid of other bidder is found lowest or most advantageous, as the case may be, the project proponent shall be given an opportunity to match such lowest or most advantageous bid, only if the final bid value offered by the project proponent is within 15% of such lowest or most advantageous bid, as the case may be.".

7. Amendment of rule 79N.- In rule 79N of the said rules,-

(i) in sub-rule (1),-

(a) for the existing expression "The following legal entity or person", the expression "The legal entity or person, including joint venture or consortium," shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the existing expression "the person or lead member shall have experience", the expression "the person or lead member, or any other member of the joint venture or consortium, shall have the experience" shall be substituted;

(ii) the existing sub-rule (3) shall be substituted by the following, namely:-

"(3) In case of joint venture or consortium, the Lead Member, and the member of joint venture or consortium, on the basis of whose technical capability, the technical eligibility of joint venture or consortium for the project is decided, shall not be allowed to exit from the joint venture or consortium.".

[No.F.1(8)FD/GF&AR/2014]

By Order of the Governor,
सिद्धार्थ महाजन,
Special Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.